रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 1985/ज्येष्ठ 22, 1907
No. 243] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 1985/JYAISTHA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 491 (अ) :—संविधान के अनुच्छेद 299 की धारा (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विकास करार (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष) निष्पादन और अधिप्रमाणन नियमावली, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को विकास करार (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष) निष्पादन तथा अधिप्रमाणन (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 कहा जाएगा ;

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विकास करार (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष) निष्पादन तथा अधिप्रमाणन नियमावली, 1983 के नियम 2, खण्ड (ख) में "श्री वी. के. शुंगलू" शब्दों के स्थान पर "श्री नृपेन्द्र मिश्र" शब्दों को रखा जाएगा।

[एफ संख्या 1/7/82-एफ बी.-1]

ओतिमा बोर्डिया, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 1985

G.S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (2) of article 77, read with clause (1) of article 299, of the Constitution, the President is pleased to make the following rules further to amend the Development Agreements (International Monetary Fund) Execution and Authentication Rules, 1983, namely :—

1. (i) These rules may be called the Development Agreements (International Monetary Fund) Execution and Authentication (Second Amendment) Rules, 1985.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Development Agreements (International Monetary Fund) Execution and Authentication Rules, 1983, in clause (b), for the words "Shri V. K. Shunglu", the words "Shri Nripendra Misra" shall be substituted.

[F. No. 1/7/82 FB-I]

OTIMA BORDIA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985